अध्याय प्रथम

प्रस्तावना

अध्याय-प्रथम

प्रस्तावना

1.1 भूमिका :– भाषा हमारे सम्प्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा के सहारे व्यक्ति न केवल अपने विचार व्यक्त करता है, बल्कि उसे दूसरे तक सम्प्रेषित भी करता है। भाषा न केवल मानव के साथ सम्पर्क सुत्र है वरन् यह मानव और पशु के मध्य विवाद रहित सीमांकन भी है। भाषा ही मानव के ज्ञानात्मक, भावात्मक और कार्यात्मक क्षेत्र में उसके सर्वोत्तम का विकास कर उसकी आत्मानुभूति, उसके अपने सृजक के साथ एक रस,एक लीन होने का माध्यम भी है। अनेकता में एकता वाले हमारे देश में अनेक भाषायें बोली और लिखी जाती है। हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है।

हिन्दी हमारे देश में युग–युग से विचार विनिमय का माध्यम रही है। यह केवल उत्तर भारत की भाषा नहीं, बल्कि समुचे देश को एक सुत्र में बांधने वाली भाषा है। आज हिन्दी किसी न किसी रूप में पूरे देश में प्रचलित है।

हिन्दी एक जीवित और सशक्त भाषा है। इसने अनेक देशी और विदेशी शब्दों को अपनाया हैं इसकी पाचन शक्ति कमजोर नहीं है। इसने अन्य भाषाओं की ध्वनियों, शब्दों, मुहावरों और कहावतों को अपने अन्दर पचाया है। इस प्रकार हिन्दी ने अपने शब्द भंडार और अपनी अभिव्यक्ति को समृद्ध किया है। हिन्दी एक जीवित भाषा है, इसका प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है। हिन्दी एक सरल भाषा है, जिसके कारण उसका व्यवहार देश के कौने–कौने में हो रहा है। भारत यह एक ऐसा देश है, जिसमें बहुधर्मी, बहुभाषायी लोग निवास करते है। इन विभिन्नताओं में एकता लाने का कार्य हिन्दी भाषा के द्वारा ही सम्भव है।

हिन्दी का सम्पर्क भाषा के रूप में महत्व यह है कि, जब दो या अधिक भाषायी लोग एकत्र आते है तब वे अपना सम्पर्क हिन्दी भाषा के द्वारा करते है और यह हमें उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय के क्षेत्र में अधिक दिखाई देता है।

उच्च ज्ञान प्राप्त करने हेतु भी द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का महत्व है। हिन्दी साहित्य इतिहास का ज्ञान, तथा हिन्दी भाषा की संरचना के ज्ञान साहित्यकारों, काव्यशास्त्र के ज्ञान प्राप्त

1.2 शिक्षा माध्यम के रूप में भाषा समस्या :–

राधाकृष्णन ओग ने शिक्षा के माध्यम के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिये –

1) उच्च शिक्षा का माध्यम यथा शीघ्र अंग्रेजी को हटाकर किसी सम्पन्न भारतीय भाषा को बनाया जाए।

2) उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो, परन्तु एक या अधिक विषयों के अध्ययन का माध्यम राष्ट्र भाषा को चुना जाए।

मुदलियार आयोग (1952–53)

मुदलियार आयोग ने शिक्षा के माध्यम के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए –

1) मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा ही शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाये, परन्तु अल्पभाषी विद्यार्थी के लिए केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों का स्वीकार किया जाए।

2) माध्यमिक स्तर पर एक तो मातृभाषा तथा दूसरी अन्य कोई आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ायी जानी चाहिए। अंग्रेजी भी वैकल्पिक भाषा के रूप में चलती रहनी चाहिये।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952)

– माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये ।

1) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा सामान्यतः माध्यमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होनी चाहिए।

2) हाईस्कूल तथा हायर सेकेंड्री स्तर पर कम से कम दो भाषाओं का अध्ययन किया जाए जिन में से एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो।

कोठारी आयोग (1964–66)

– कोठारी आयोग ने निम्न सुझाव दिये –

1) हिन्दी संघ की राष्ट्रभाषा है और आशा है कालान्तर में वह देश की जनभाषा बन जायेगी। अतः भाषा पाठयचर्चा में मातृभाषा के बाद इसका ही स्थान होगा।

2) हिन्दी या अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में अनिवार्यतः किसी अवस्था से शुरू किया जाए और वह कितनी अवधी तक सिखाई जाए यह स्थानीय अभिप्रेरणा और आवश्यकता पर निर्भर करती है और इसे प्रत्येक राज्य के विवेक पर छोड़ देना चाहिए।

इस प्रकार विभिन्न आयोगों ने शिक्षा माध्यम के रूप में भाषा समस्या के प्रति अपने विचार रखें है।

हिन्दी भाषा भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतिक है। हिन्दी भारत की एकमात्र ऐसी भाषा है। जो सम्पूर्ण देश को एकसुत्र में बांधती है। हिन्दी एक जीवित और सशक्त भाषा होने के कारण इसका प्रचार–प्रसार बढ़ता जा रहा है। हिन्दी एक सरल भाषा है, जिसके कारण इसका व्यवहार देश के कौने–कौन में हो रहा है। हिन्दी भाषा का विकास एंव प्रसार में हिन्दी भाषी क्षेत्र मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, दिल्ली आदि ने अपनी एक विशेष पहचान बना ली है। इसके विपरीत अहिन्दी भाषी क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में आज भी पर्याप्त हिन्दी भाषा का विकास एंव प्रसार नहीं है।

भारत के संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूपमें स्वीकार किया गया है। संविधान में राजभाषा संबंधी कई संवैधानिक उपबंध है।

संविधान के भाग–17 के अनुच्छेद 343 (1) में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।

अनुच्छेद 351 में हिन्दी भाषा के प्रचार–प्रसार और उसके विकास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिये गए हैं। जिनमें कहा गया है कि ''संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकी वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकें।''

संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसरण में 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई जिसकी परीक्षा के लिए इस अनुच्छेद के खंड (4) के अनुसार लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सदस्यों की एक संसदीय समिति गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 08.02.1959 को प्रस्तुत की।

राष्ट्रपति ने संसदीय समिति द्वारा प्रस्तुत 1959 की रिपोर्ट पर राजभाषा आयोग की सिफारिशों के आधार पर समिति द्वारा प्रकट किए गए मंतव्य के संदर्भ में 27.04.1960 को एक आदेश पारित किया जिसमें शिक्षा मंत्रालय को वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण के लिए एक स्थायी समिति गठित करने और संवैधानिक नियमों विनियमों और आदेशों के अतिरिक्त सभी मैनुअलों तथा कार्यवाही साहित्य का अनुवाद करने और एक मानक विधि शब्दकोश तैयार करने को कहा गया। साथ ही अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप

में हिन्दी का प्रयोग शुरू करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आवश्यक कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया गया।

1975 ई. में गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना की गई, जिससे की केंद्रिय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को तेजी से बढ़ाया जा सके।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और उनके अधीन निगमों उपक्रमों तथा कंपनियों में राजभाषा हिंदी का प्रचार–प्रसार बढ़ाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है, जो निम्न प्रकार है –

केंद्रीय हिन्दी समिति :– प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित यह एक उच्च समिति है, जिसमें महत्वपूर्ण मंत्रालयों और कुछ मुख्यमंत्रियों तथा कुछ संसद सदस्यों और हिंदी सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं। राजभाषा विभाग के सचिव इसके सदस्य सचिव होते हैं और इस समिति का निर्णय मंत्रिमंडल का निर्णय माना जाता है।

हिन्दी सलाहकार समितियां :–

सभी मंत्रालयों/विभागों के मंत्रियों की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है, जिनकी बैठकें तीन महीनों के बाद होती है। इनमें नामित संसद सदस्यों के अलावा स्वयंसेवी हिन्दी संस्थाओं के सदस्य भी होते है। यह समिति अपने–अपने मंत्रालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए परामर्श देती है।

राजभाषा कार्यान्वयन समितिया :–

प्रत्येक विभाग और कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां होती हैं, जो संबंधित विभागों और कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करती है। और राजभाषा कार्यान्वित करती है। इसकी बैठक तीन महीने में एक बार होती है।

1.3. प्रारंभिक स्तर पर हिन्दी शिक्षण

शिक्षा के विभिन्न स्तरों में से प्रांरभिक स्तर पर हिन्दी भाषा का ज्ञान विद्यार्थी के अपने रूचि, योग्यता, शिक्षक की शिक्षण कुशलता पर आधारित होता है। जिस क्रिया द्वारा विद्यार्थियों को हिन्दी भाषा से संबंधित भाषा कौशलों में प्रवीणता प्रदान करके उसके चिन्तन तथा अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाया जाता है। तथा जीवन से संबंधित किसी भी विषय का अध्ययन करने का सामर्थ्य विकसित किया जाता है उसे ही हिन्दी शिक्षण कहा जाता है।

हिन्दी तथा अहिन्दी भाषा प्रदेशों में हिन्दी के शिक्षण में पर्याप्त अंतर है। पिछली शताब्दी तक बहुभाषी होना व्यक्ति की सांस्कृतिक सम्पन्नता का द्योतक था। किन्तु आज की स्थिति सर्वथा भिन्न है, अब वह एक व्यवहारिक आवश्यकता बन गई है। ईक्कीसवीं शताब्दी में द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में भाषा की जानकारी के इस लक्ष्य परिवर्तन को समझना अति आवश्यक है। आज हम एक दो प्रमुख भाषाओं की जानकारी केवल इसलिये नहीं करना चाहते कि उस भाषा में उचित उच्च साहित्य का रसास्वादन कर सकें अपितु इसलिए भी करना चाहते हैं की अन्य भाषा–भाषी व्यक्तियों के जीवन को व्यापक स्तर पर समझे, उनके साथ हम जीवनगत उपलब्धियों का आदान–प्रदान कर से।

अहिन्दी भाषा शिक्षण का तात्पर्य मातृभाषा से भिन्न किसी अहिन्दी प्रदेशों में द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में हिन्दी सिखाना है। हिन्दी अपने देश की राष्ट्रभाषा है। हमारे देश में हिन्दी शिक्षण के दो रूप है : एक तो हिन्दी भाषा भाषी प्रदेशों में मातृभाषा के रूप में (प्रथम भाषा) और दूसरे अहिन्दी भाषा–भाषी प्रदेशों में जिनकी मातृ–भाषा कुछ और है वहां अन्य भाषा के रूप में (द्वितीय भाषा)।

किसी भी भाषा के सीखने के चार चरण है जो क्रमशः सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना है। इनका एक दुसरे से घनिष्ठ संबंध है। इन चारों कौशलों का विकास क्रम में होता है। जैसे बिना सुने बोला नहीं जा सकता। बोलने के लिए सुनना अत्यंत आवश्यक है। तत्पश्चात वह पढ़ना और लिखना सीखता है। अतः इन चारों में से यदि पहले कौशल का विकास बच्चे में नहीं हो पाया, तो वह आगे के कौशल नहीं सीख सकता। सुनना व बोलना किसी भाषा को सीखने का पहला चरण है इसलिए इसको प्राथमिक या निवेशी कौशल के नाम से जाना जाता है तथा पठन व लेखन इनके फलस्वरूप ही विकसित होते है अतः इन्हें द्वितीय या निर्गत कौशल की संज्ञा दी गयी है।

पूर्व में किए गए कुछ अध्ययनों तथा प्रतिवेदनों के परिणामों से यह संकेत मिलते है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों का उपलब्धि स्तर विशेषतया भाषा में संतोषजनक तो है किन्तु सभी बच्चे प्राथमिक स्तर पर वांछित दक्षतायों में प्रविणता स्तर को प्राप्त नहीं कर सके। इसी संदर्भ में यहां प्रश्न यह उठता है कि प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु किएगए प्रयासों का ऐसा अध्ययन किया जाए जिससे यह पता लाया जा सके कि बच्चों का भाषिक स्तर क्या है? किन–किन दक्षताओं से संबंधित प्रश्नों को हल करने में बच्चों को कठिनाई होती है? बच्चों में भाषिक दुर्बलताएं कहां हैं?

भाषाज्ञान की दुर्बलता के कारण बच्चा भाषिक कौशलों में दक्षता अर्जित नहीं कर पाता। परिणामी बच्चों का लेखन,पठन, उच्चारण सब दोषपूर्ण हो जाता है, अतः इस दुरभाग्यपूर्ण स्थिती से बचने के लिए प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों की भाषिक दुर्बलताओं को पहचानना आवश्यक है, ताकि उनके निराकरण हेतु भाषा विषयक बातों पर समय रहते उचित बल दिया जा सके।

1.4 द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का महत्व :–

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का विशेष महत्व है। संवैधानिक दृष्टि से वह भारत की राजभाषा है। मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, हरियाणा इन राज्यों की तो यह मातृभाषा है। देश के अन्य राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, उड़िसा, कर्नाटक आदि अहिन्दी राज्यों में यह द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है।

हिन्दी तथा अहिन्दी भाषा प्रदेशों में हिन्दी के शिक्षण में पर्याप्त अंतर है। हमारे देश में हिन्दी शिक्षण के दो रूप है : एक तो हिन्दी भाषा प्रदेशों में मातृभाषा के रूप में (प्रथम भाषा) और दूसरे अहिन्दी भाषा भाषी प्रदेशों में जिनकी मातृभाषा कुछ और है वहां अन्य भाषा के रूप में (द्वितीय भाषा)।

पूर्व में किए गए कुछ अध्ययनों के परिणामों से यह संकेत मिलते है कि प्रार्थमिक स्तर के बच्चों का उपलब्धि स्तर विशेषतया भाषा में संतोषजनक तो है किन्तु सभी बच्चे प्राथमिक स्तर पर वांछित दक्षताओं में प्रविणता स्तर को प्राप्त नहीं कर सकें। भाषाज्ञान की दूर्बलता के कारण बच्चा भाषिक कौशलों में दक्षता अर्जित नहीं कर पाता। परिणामतः बच्चों का लेखन, पठन, उच्चारण सब दोषपूर्ण हो जाता है, अतः इस स्थिति से बचने के लिए प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों की भाषिक दूर्बलताओं को पहचानना आवश्यक है, ताकि उनके निराकरण हेतु भाषा विषयक बातों पर समय रहते उचित बल दिया जा सके।

1.5. अध्ययन की आवश्यकता :–

भाषा संबंधी ज्ञान में परिपक्व बालक जीवन में अपेक्षाकृत अधिक सफल होता है, क्योंकि सशक्त अभिव्यक्ति, शुद्ध भाषिक प्रयोग, प्रसंगानुसार अर्थ बोध की उसकी दक्षता, जीवन में उसे प्रतिक्षण सफलता का बोध कराती है।

भाषा ज्ञान की दुर्बलता के कारण विद्यार्थी लेखन में वर्तनीगत दोष करता देखा जाता है। वह उचित अनुच्छेद व विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं कर पाता। वह सुडौल लिपि चिन्हों का प्रयोग

नहीं कर पाता। वह विचारों व भावों को शुद्ध व सार्थक वाक्य संरचना के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं कर पाता।वह व्याकरणिक मर्यादाओं को पालन करने में असमर्थ सिद्ध होता है। यदि वह पठन करता है तो उसका अर्थ बोध अपेक्षित सीमा से अति निम्न स्तर का पाया जाता है।

जब तक प्राथमिक विद्यालयों में हिन्दी भाषा ज्ञान के अध्यापन एवं उनके परीक्षण पर बल नही दिया जाएगा तब तक भाषा पठन का काम शिथिल गति से ही चलता रहेगा।

अतः प्राथमिक शालाओं में इस बात पर बल दिए जाने की आवश्यकता है कि बच्चों का हिन्दी भाषा विषयक विकास किस सीमा तक हुआ है, उसका पता लगाया जा सके और जहां उसकी कमजोरी हो उसका निदान करते हुए उपचारात्मक शिक्षण किया जा सके।

प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध के माध्यम से हमारा अभिप्राय कक्षा 6 के विद्यार्थियों (वर्धा–जिला, महाराष्ट्र) के हिन्दी भाषा ज्ञान की यथातथ्य स्थिति का पता लगाना है, अक्सर यह देखा जाता है कि बच्चे कक्षा में उत्तीर्ण तो हो जाते हैं किन्तु हिन्दी भाषाज्ञान संबंधी बुनियादी घटकों का ज्ञान नहीं होता। बच्चों को यदि कोई श्रुतलेख दिया जाए तो वे कई प्रकार की त्रुटियां कर देते हैं, बच्चे उचित आरोह अवरोह के साथ पठन नहीं कर पाते। व्यावहारिक व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान उन्हें नहीं होता।

इस अध्ययन द्वारा कक्षा 6 के (वर्धा–जिला–महाराष्ट्र) के विद्यार्थियों के हिन्दी भाषाज्ञान का अध्ययन करने का प्रयास किया गया हैं इस अध्ययन से विद्यार्थियों की विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, शुद्ध रूप, लिंग वचन, तथा मुहावरों का अर्थ व वाक्य में प्रयोग, निबंध, अनुवाद आदि की वस्तुस्थिति का पता लगाया जा सकेगा।

इस अध्ययन से यह पता लगाया जा सकेगा कि कक्षा 6 के विद्यार्थी किन–किन दक्षताओं को हल करने में कठिनाई का अनुभव करते है। इस बात का बोध हो सकेगा कि हम कहां खड़े हैं? अभी तक किए प्रयत्नों में कहां दोष है? इससे यह सोचा जाना संभव हो सकेगा कि अहिन्दी भाषिक क्षेत्र में शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर हिन्दी भाषिक सुधार संबंधी कोई अभियान संचालित किया जा सकता है क्या? इस अध्ययन से यह भी पता लगेगा कि प्राथमिक विद्यालयों में हिन्दी भाषा का अध्यापन कार्य दक्षता आधारित स्वरूप में संचालित किया जा रहा है अथवा यह पाठयक्रम आधारित होकर अध्यापक के लक्ष्य को येन–केन प्रकारण, पाठयक्रम समाप्त घोषित करने तक ही सीमित कर रहा है, क्योंकि आजकल इस बात पर सर्वाधिक बल दिया जा रहा है कि विषयों का शिक्षण दक्षता आधारित हो।

ऐसे कई विचारणीय बिन्दु हैं जिनकी ओर इस अध्ययन से ज्ञान आकर्षित हो सकेगा और अहिन्दी प्रदेशों में हिन्दी भाषिक दुर्बलताओं को दूर करने के लिए उपयोगी, सामाजिक एवं स्थायी समाधान खोजा जा सकेगा।

1.6. समस्या कथन

प्रस्तुत अध्ययन का विषय है कक्षा 6 के विद्यार्थियों की हिन्दी भाषा में उपलब्धियों का अध्ययन।

1.7 अध्ययन के उद्देश

1) कक्षा 6 के बालक–बालिकाओं की हिन्दी भाषा की उपलब्धि में अन्तर ज्ञात करना।

2) कक्षा 6 के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों की हिन्दी भाषा की उपलब्धि में अन्तर ज्ञात करना।

3) कक्षा 6 के बालक–बालिकाओं द्वारा पठन बोध में होने वाली त्रुटियों/कठिनाईयों को ज्ञात करना।

4) हिन्दी भाषा में अधिगम कठिनाई वाले बिन्दुओं (व्यावहारिक व्याकरण) को ज्ञात करना।

5) कक्षा 6 के विद्यार्थियों द्वारा हिन्दी भाषा से संबंधित त्रुटियों को दूर करने के लिए उचित सुझाव देना।

1.8 परिकल्पना

1) कक्षा 6 के बालक–बालिकाओं की हिन्दी भाषा की उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

2) कक्षा 6 के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों की हिन्दी भाषा की उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

1.9 शोध में प्रयुक्त चर

शोध में स्वतंत्र चर एवं आश्रित चर इस प्रकार रखे गये है –

स्वतंत्र चर –

कक्षा – 6

1) लिंगगत – बालक बालिकाऐं

2) अवस्थिति – ग्रामीण तथा शहरी

आश्रित चर –

कक्षा 6 के विद्यार्थियों का हिन्दी भाषा उपलब्धि परीक्षण

1.10 शोध का परिसीमन –

इस लघु–शोध प्रबंध की निम्नलिखित परिसिमाएँ है –

1) प्रस्तुत अध्ययन में वर्धा जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक शालाओं को ही सम्मिलित किया गया है।

2) यह अध्ययन प्राथमिक शालाओं के उन विद्यार्थियों तक सीमित है जो कक्षा 6 में अध्ययनरत है।

3) अध्ययन हेतु वर्धा जिले के केवल 10 प्राथमिक शालाओं को चयनित किया गया है।

4) इस अध्ययन में उपरोक्त 10 प्राथमिक शालाओं में से केवल 200 विद्यार्थियों को ही शामिल किया गया है।

5) यह अध्ययन कक्षा 6 की हिन्दी की व्यावहारिक व्याकरण के प्रमुख घटक जैसे विलोम, पर्यायवाची, लिंग, शुद्ध रूप, मुहावरों का अर्थ व वाक्यमें प्रयोग, निबंध लेखन तथा अनुवाद तक ही सीमित है।